भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 448
उत्तर देने की तारीख 05 फरवरी, 2024
सोमवार, 16 माघ, 1945 (शक)

व्यावसायिक प्रशिक्षण में नामांकन दर

448. श्री कुरुवा गोरांतला माधवः श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डीः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास आन्ध्र प्रदेश में ग्रामीण युवाओं की विशिष्ट आकांक्षाओं को समझने और उन्हें पूरा करने के लिए लक्षित कोई मौजूदा पहल है;

(ख) क्या सरकार के पास उन ग्रामीण युवाओं, जो अपने गांवों में ही रहना पसंद करते हैं, को कौशल प्रदान करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने की कोई योजनाएं हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आन्ध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में "स्किल ऑन व्हील" जैसी मौजूदा पहलों का विस्तार करने का विचार है ताकि उन्हें अपने घरों के नजदीक सुलभ कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जा सकें;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ङ) ग्रामीण युवाओं में व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन दर का ब्योरा क्या है; और

(च) आन्ध्र प्रदेश में इन कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता और पहुंच में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री
(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) और (ख) आंध्र प्रदेश के ग्रामीण युवाओं सहित देश भर में युवाओं की नियोजनीयता में सुधार करने हेतु, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन (सिम) के अंतर्गत विभिन्न स्कीमों अर्थात प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों के एक व्यापक नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनर्कौशल और कौशलोन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करता है। इन स्कीमों का लाभ आंध्र प्रदेश के ग्रामीण युवाओं सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों के लिए उपलब्ध है। सिम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग प्रासंगिक कौशल से लैस करके भविष्य के लिए तैयार होने में सक्षम बनाना है। इन स्कीमों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) : पीएमकेवीवाई स्कीम देश भर के युवाओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण और पूर्व शिक्षण मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन प्रदान करने के लिए है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम: जेएसएस का मुख्य लक्ष्य निरक्षरों, नव-साक्षरों और 8वीं कक्षा तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर वाले "दिव्यांगजन" तथा अन्य पात्र मामलों में उचित आयु छूट और 15-45 वर्ष की आयु-वर्ग के 12वीं कक्षा तक स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले लोगों को व्यावसायिक कौशल प्रदान करना है। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी कम आय वाले क्षेत्रों में महिलाओं, एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों को प्राथमिकता दी गई है।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन स्कीम (एनएपीएस) : यह स्कीम शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और शिक्षुओं को वृत्तिका के भुगतान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके शिक्षुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए है। प्रशिक्षण में उद्योग में कार्यस्थल पर बुनियादी प्रशिक्षण और कार्यरत प्रशिक्षण/व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल है।

शिल्पकार प्रशिक्षण स्कीम (सीटीएस) : यह स्कीम देश भर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से दीर्घावधि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए है। आईटीआई उद्योग में कुशल कार्यबल प्रदान करने तथा युवाओं को स्व-रोजगार के उद्देश्य से बड़ी संख्या में आर्थिक क्षेत्रों को शामिल करते हुए व्यावसायिक/कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करती है।

कौशल विकास के लिए उक्त स्कीमों के अतिरिक्त, एमएसडीई राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से उद्यमशीलता विकास के कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 के दौरान एमएसडीई की स्कीमों के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों की संख्या का विवरण इस प्रकार है:

स्कीम	वर्ष 2020-21	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23
पीएमकेवीवाई	19,60,776	6,16,040	2,11,170
जेएसएस	3,59,796	4,61,996	7,26,284
एनएपीएस	3,07,404	5,89,996	7,38,675
सीटीएस	12,19,446	12,25,851	12,50,641

(च) एमएसडीई ने जागरूकता अभियानों, कार्यशालाओं और सामुदायिक सहभागिता पहल के माध्यम से विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमियों में कौशल विकास के कार्यक्रमों की व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कार्यनीतियां अपनाई हैं। कौशल पहल के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम ऑल इंडिया रेडियो (एआईआर), पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी), माईगॉव और दूरदर्शन (डीडी) जैसे मंचों के माध्यम से भी किया जाता है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और मोबाइल प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर, मंत्रालय ने कौशल से संबंधित जानकारी और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित की है, जिससे सुदूर के क्षेत्रों में व्यक्तियों को लाभ हुआ है।

*****